23.12.2014 वकील अपीलान्ट हाजिर। पत्रावली मे संलग्न मे विवरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत कपासन के ना० न० 391 दिनांक 9.12.2015 अपीलान्ट के नाम पर तरमीम नहीं कर स्वीकृत किया जाने मे व रेस्पोडेन्ट ने बा०। के नाम पर दर्ज किये जाने से वाकुत किया। हमने रेस्पोडेन्टगण को परिवे सम्मन तलब किया। नाबयुह सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 5.12.2014 को एक तरफा कार्यवाही की गई। हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली व ना० न० 391 का अवलोकन किया। पत्रावली अवलोकन से ना० न० 391 निरस्त किया जाना व अपील की सुनवाई की पश्चात मामलात्रा फैसल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कि जाकर ग्राम पंचायत कपासन के ना० न० 391 दिनांक 9.12.2015 निरस्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि अपील की सुनवाई की जाकर मृतक गोपू का नवीन सीरे से मामलात्रा की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर मे कम हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़